

कार्यालय प्रमुख अभियंता
(अधिष्ठाण-२ अनुभाग)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांक:जी-४८४/ई-२/

लखनऊ: दिनांक : २० अक्टूबर, २०१६

विषय: अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित किए जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-२) काई-ईम-ई सिंचाई एवं ज०सं०विभाग, १५/१०/१६.

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासकीय ज्ञाप संख्या:१७७/सत्ताईस-१३-२०१४-३२४/२००१, दिनांक ०६.१०.२०१६ द्वारा श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियंता की ज्येष्ठता श्री ठाकुर प्रसाद (ज्येष्ठता क्रमांक-२०७(१३)) के नीचे तथा श्री राम अवतार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक-२०७(१४)) के उपर क्रमांक-२०७(१३)(१) पर अनन्तिम रूप से प्रख्यापित करते हुए पत्र निर्गत तिथि से ०७ दिन के अन्दर लिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाने का समय निर्धारित किया है।

अतः शासकीय ज्ञाप संख्या:१७७/सत्ताईस-१३-२०१४-३२४/२००१, दिनांक ०६.१०.२०१६ की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त शासकीय पत्र द्वारा निर्गत वरिष्ठता के क्रम में जो भी लिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन प्राप्त हों निर्धारित अवधि के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, यदि निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति/प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रख्यापित कर दी जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(कुलदीप श्रीवास्तव)

अधिशायी अभियंता (ई-२)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सि० एवं ज०सं०वि०

पत्रांक:जी-४८४(१)/ई-२/दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-१३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासकीय आदेश संख्या:१७७/सत्ताईस-१३-२०१४-३२४/२००१, दिनांक ०६.१०.२०१६ के संदर्भ में।
२. अधीक्षण अभियंता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं ज०सं०विभाग, लखनऊ को शासकीय ज्ञाप संख्या:१७७/सत्ताईस-१३-२०१४-३२४/२००१, दिनांक ०६.१०.२०१६ की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त शासकीय पत्र को वेब साइट पर अपलोड कर करने का कष्ट करें।

(कुलदीप श्रीवास्तव)

अधिशायी अभियंता (ई-२)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सि० एवं ज०सं०वि०

SB (14) / 15/10/16

मुख्य अभियंता
सूचना प्रभाग-१३
सि०वि०, लखनऊ

50-4001/2016
17/10/16

8.16.2

13/10/2016

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13

संख्या- 177 / सत्ताईस-13-2014-324 / 2001

लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-942/सत्ताईस-1-2014-324/2001, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा रिट याचिका सं0-665(एस0बी0)/98 मो0 अरशद खॉ बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0-230(एस0बी0)/2009 अशोक कुमार राना बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों क्रमशः दिनांक 27.09.2010 तथा दिनांक 25.02.2010 के अनुपालन में दिनांक 22.09.1997 से नियमित रूप से प्रोन्नत 28 डिग्रीधारी कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 06.01.2001 द्वारा वर्ष 1990-91 से 1997-98 तक नियमित रूप से नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-207 पर अंकित सहायक अभियन्ता श्री हरी प्रकाश काला के नाम के नीचे तथा ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-207(ए) पर प्रतिस्थापित प्रथम सहायक अभियन्ता श्री चाँद सिंह के नाम के ऊपर क्रमांक-207(1) से 207(28) पर अन्तिम रूप से प्रख्यापित की गई है।

2- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 के प्रोन्नति/विज्ञप्ति दिनांक 13.06.2016 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-230(एस0बी0)/2009 अशोक कुमार राणा व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या-383/2013 दयाशंकर सिंह बनाम् उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.10.2013 के अनुपालन में तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री दयाशंकर सिंह (डिग्रीधारी अवर अभियन्ता) को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र सं0-10/05/पी/एस-7/2010-11, दिनांक 18.05.2016 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के अधिसंख्य पद पर नियमित रूप से दिनांक 22.09.1997 से प्रोन्नति प्रदान की गई है।

3- प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.2016 एवं 21.09.2016 में श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2014 द्वारा

प्र. श्री म

10

15/10/16

30/10/16 (का 0-2)

13/10/16

निर्गत ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-14 पर अंकित श्री ठाकुर प्रसाद (वरिष्ठता क्रमांक-207(13)) के नीचे एवं क्रमांक-15 पर अंकित श्री राम अवतार सिंह (वरिष्ठता क्रमांक-207(14)) के ऊपर वरिष्ठता क्रमांक-207(13)(1) पर निर्धारित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

4- अतः एतद्द्वारा श्री दयाशंकर सिंह, सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता कार्यालय-ज्ञाप सं०-942/सत्ताईस-1-2014-324/2001, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा कार्यालय-ज्ञाप सं०-6512/27-1-2000-46डब्लू0पी0/2000, दिनांक 06.01.2001 द्वारा प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-207(13) पर प्रतिस्थापित श्री ठाकुर प्रसाद के नीचे तथा क्रमांक-207(14) पर अंकित श्री राम अवतार सिंह के ऊपर क्रमांक-207(13)(1) पर अनन्तिम रूप से प्रख्यापित की जाती है।

5- इस ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में यदि किसी अधिकारी को कोई आपत्ति है तो वह अपनी लिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन निर्गत तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर प्रेषित कर सकता है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इस अनन्तिम ज्येष्ठता के विरुद्ध समयान्तर्गत प्राप्त आपत्तियों एवं प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के उपरान्त अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित कर दी जाएगी।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

संख्या: 177 (1)/27-1-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि सूची में अंकित समस्त अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित करें।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
7/10/2016
(रामचन्द्र यादव)
संयुक्त सचिव।